संख्या:877 XXVII(7)च0श्र0 / 2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक:24 मार्च, 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल, शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के संलग्नक–1 के कालम–2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान क्रमशः ₹2550–3200, ₹2610–3540, तथा ₹2650–4000, के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0, ₹4440–7400, तथा ग्रेड वेतन क्रमशः ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 ₹5200–20200 एवं ₹1800 / – के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण / संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है:–

(i) शासनादेश संख्या:283 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹1900 / – का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया गया है, उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹1900 / – वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, जहां पर ग्रेड पे ₹1800 / – के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदधारकों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹1300 / –, ₹1400 / – एवं ₹1650 / – के पद ₹1800 / – के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जाएगें।

(iii) ₹1800 / – की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹1800 / – ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती / नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 को केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या : 877 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्याः 888XXVII(7)च0श्रे0/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख साचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः २५ मार्च, 2011

विषयः–राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकृत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्याः877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः877/XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रेषक में आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर राधा रतूड़ी, सचिव, वित्त पढ़ा जाए।

2– शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या :888 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या: 07 / XXVII(7) / 27(V) / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-07 देहरादून:दिनांक: 06 अप्रैल, 2011

विषय:--राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का दिनांक 01-01--2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24--03-2011 से वास्तविक आधार पर संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:877 / XXVII(7)च0श्रे0 / 2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड--1, ₹ 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/- में उच्चीकरण / संशोधन की व्यवस्था के स्थान पर वेतन बैण्ड-1, ₹ 5200--20200 एवं ग्रेड वेतन ₹ 1800/ - दिनांक 01-01-2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर पुनरीक्षित करते हुए उसका वास्तविक लाभ / नकद भुगतान दिनांक 24 मार्च,2011 से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2-- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2011 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 07 (1)/XXVII(7)/27(V)/2011तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव,विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या–154/XLII–1/2013–6(8)/2011

प्रेषक,

पी0ए0 जंगपांगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 06 जून, 2013

विषयः–चतुर्थ श्रेणी सवंर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–447/उ0सं0वि0/कार्मिक/2011 दिनांक 16 सितम्बर,2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के संबंध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–169/XXVII(7)/2009 दिनांक 19 जून,2009 के साथ संलग्नक फिटमेन्ट तालिका के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01–01–2006 से पूर्व वेतनमान कमषः रू0 2550–3200, रू0 2610–3540 तथा रू0 2650–4000 के पदों पर दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैण्ड–1–एस0 रू04440–7440 तथा ग्रेड वेतन कमशः रू0 1300/–, रू0 1400/– एवं रू0 1650/– के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं रू01800/– के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तो के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) शासनादेश संख्याः283/XXVII(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी,2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जायेगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा रू0 1900/– का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया है उन्हें उक्त ग्रेड पे रू0 1900/– वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

(ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे रू0 1300/–, रू0 1400/– एवं रू0 1650/– के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहां पर ग्रेड पे रू0 1800/– के पद कम पड़ते है (कार्यरत पदों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक रू0 1300/–, रू0 1400/– एवं रू01650/– के पद रू0 1800/– के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जायेंगे।

(iii) रू0 1800/– की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जायेंगें अर्थात समह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध रू0 1800/– ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जायेंगे।

.....2.....

2– शासनादेश संख्याः 877/XXVII(7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च,2011 के कम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण संशोधन भी नियमानुसार लागू होगें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0–389/XXVII(7)/2013 दिनांक 28–05–2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पी0एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव।

संख्या–1540/XLII–1/2013–6 (8)/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
4. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव